निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1180) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

27 जुलाई 2015

सं० 1346—पटना जिलान्तर्गत उदासीन संगत फुलवारीशरीफ पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 3226 है।

इस न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1905, दिनांक 30/09/1996 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ की अध्यक्षता में एक न्यास समिति गठित की गयी थी। न्यास समिति के गतिविधियों की जानकारी पर्षद कार्यालय को अप्राप्त रही। न्यास समिति ने वार्षिक आय–व्यय, विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन पर्षद को देय शुल्क बैठक का कार्यवृत कभी भी दाखिल नहीं किया। पर्षदीय आदेशों का भी पालन नहीं किया गया, जिसके कारण न्यास का संचालन मनमाने ढ़ंग से किया जाता रहा तथा न्यास कुप्रबंधन का शिकार रहा एवं आय का दुरूपयोग किया जा रहा था। इस संबंध में पर्षदीय पत्रांक–1585, दिनांक 26/06/2008 द्वारा समिति को कारण–पृच्छा की नोटिस भेजी गयी थी, किंतु उसके बाद भी पर्षदीय आदेश/निर्देशों का पालन नहीं हुआ। इस न्यास की स्थानीय जांच दिनांक 19/05/2009 को पर्षद के निरीक्षक के द्वारा करवाई गयी। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में न्यास की पुर्नगठन की अनुशंसा की, परंतु अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। पर्षदीय पत्रांक–108, दिनांक 02/05/14 के माध्यम से न्यास समिति के सदस्यों को अधिनियम की धारा–29 (2) के तहत नोटिस दी गयी। इसमें से कुछ सदस्यों के पत्रों पर Addresee died, Left के पृष्ठांकन के साथ वापस आ गया। न्यास के एक सदस्य रामधनी प्रसाद ने अपने जबाब में लिखा की दिनांक 30/09/1996 में एक बैठक हुई, उसके उपरांत न्यास की कोई बैठक ही नहीं हुई। पुनः इस न्यास की जांच पर्षद के ओर से कराई गयी, जिसमें पूर्व की न्यास समिति जो करीब 20 वर्षों पहले बनी थी, को विघटित करते हुए नवीन न्यास समिति के गठन की अनुशंसा की गयी। न्यास समिति के विघटन का आदेश दिनांक 06/01/2015 को दिया गया।

इसके उपरांत स्थानीय जनता से आम सभा के माध्यम से न्यास समिति के गठन हेतु चयनित सदस्यों का नाम प्राप्त। पर्षदीय पत्रांक–1364, दिनांक 14/01/15 के माध्यम से अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ से एक जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा पर्षदीय पत्रांक–1365, दिनांक 14/01/2015 के माध्यम से थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ से प्राप्त नामों का चरित सत्यापन कराने हेतु पत्र दिया गया। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन पत्रांक–1703/15, दिनांक 11/05/15 में सूचित किया गया कि नामित सदस्यों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है एवं इनकी छवि अच्छी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु पूर्व में गठित न्यास समिति को विघटित करते हुए, बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**उदासीन संगत फुलवारीशरीफ**, **पटना**'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**उदासीन संगत फुलवारीशरीफ न्यास योजना**, पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**उदासीन संगत फुलवारीशरीफ न्यास समिति**, पटना'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः–

(1)	श्री गौरीशंकर प्रसाद पिता–स्व0 रामकिशुन प्रसाद	–	अध्यक्ष
(2)	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह पिता–श्री अनिल कुमार सिंह	–	सचिव
(3)	श्री आशीष कुमार पिता–श्री गया पासवान	–	कोषाध्यक्ष
(4)	श्री विजयदास चेला पिता–श्री रघुवीर दास	–	सदस्य
(5)	श्री संजय पासवान पिता–श्री राजेन्द्र प्रसाद	–	सदस्य
(6)	श्री रमेश प्रसाद पिता–श्री रामाधार राय	–	सदस्य
(7)	श्री रविप्रकाश पिता–श्री जयनंदन शर्मा	–	सदस्य
(8)	श्री ओमप्रकाश कुमार सिंह पिता–श्री रामकिशुन सिंह	–	सदस्य
(9)	श्री महेन्द्र प्रसाद यादव पिता–स्व0 रामवचन राय	–	सदस्य
(10)	श्री कमलेश कांत चौधरी पिता–रामरतन चौधरी	–	सदस्य
(11)	श्री राजेश महतो पिता–श्री योगेन्द्र प्रसाद	–	सदस्य

सभी उदासीन संगत फुलवारी, पटना।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति भंग की जा सकती है।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1180-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in